कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

क्रमांक 130/2007/2408/I-69 इन्दौर दिनांक 23-02-2008

प्रति,

अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर (समस्त)
उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (समस्त)
अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर (समस्त)
सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर (समस्त)
वाणिज्यिक कर अधिकारी (समस्त)
मध्य प्रदेश

विषय : **प्रमाणित बीज एवं सत्यरूप उपचारित बीज पर वेट/वाणिज्यिक कर/क्रय कर का दायित्व।**

सीड एसोसिएशन, मध्यप्रदेश, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में यह दर्शाया गया है कि वाणिज्यिक कर अधिनियम के अधीन पारित किए जा रहे कर निर्धारण आदेशों में प्रमाणित बीज एवं सत्यरूप उपचारित बीज व्यवसाइयों पर क्रय कर लगाया जा रहा है। कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि बीज कंपनियों द्वारा अनाज, दलहन तथा तिलहन की खरीद की जाती है तथा इनके उपचार एवं प्रमाणन के बाद बीज बनाए जाते हैं जो क्रय किए गए अनाज, दलहन तथा तिलहन से भिन्न हैं। इसलिए क्रय किए गए अनाज, दलहन एवं तिलहन के मूल्य पर बीज कंपनियों पर क्रय कर का दायित्व आता है। क्रय कर निरूपित करने के निर्णय को अनुचित एवं गलत बताते हुए संगठन ने मांग की है कि कर निर्धारण अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी कर क्रय कर निरूपित न करने के लिए निर्देशित किया जावें।

इस मुद्दे पर विचार के अनुक्रम में बीज अधिनियम, 1966 का परिशीलन एवं अध्ययन किया गया तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रमाणन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। बीजों के उत्पादन एवं प्रमाणन की प्रक्रिया का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है :-

बीजों के उत्पादन हेतु बीज कंपनियों द्वारा किसानों के साथ अनुबंध किए जाते हैं। इन अनुबंधों के अनुक्रम में कंपनियों द्वारा किसानों को फाउण्डेशन सीड्स प्रदाय किए जाते हैं। प्रदाय किए गए फाउण्डेशन सीड्स से किसानों द्वारा अपने खेतों में बीजों का उत्पादन किया जाता है। उत्पादित किए गए बीज किसानों द्वारा संबंधित कंपनी को बेचे जाते हैं। कंपनियों द्वारा किसानों से क्रय किए गए बीजों की उपयुक्त एवं आवश्यक ग्रेडिंग की जाती है तथा इनका प्रमाणन म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से कराया जाता है, इसके बाद ये बीज निश्चित मात्रा में बोरियों रखे जाते हैं जिनमें प्रमाणन संस्था द्वारा एक टैग लगाया जाता है जिसमें निर्धारित विवरण अंकित रहते हैं। इस प्रकार से प्रमाणित इन बीजों को विक्रय हेतु पैक करते समय बीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवा का एक पैकेट प्रत्येक बैग में रख दिया जाता है। इन बीजों की बुआई के समय पैकेट में रखी दवा बीजों में मिला दी जाती है जिससे फसलों को नुकसान पहुँचाने वाली बीमारियों व कीटों पर रोक लगती है।

GSB-Letter(Hindi)

Page-8
Entry-37_Hindi

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु. भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

Page-19 English
Entry-37

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 अगस्त 2006—श्रावण 17, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2006

क्र. 4695-295-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 4 अगस्त 2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिपिन बिहारी शुक्ला, अतिरिक्त सचिव.

(तीन) अनुक्रमांक १५ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(१)	(२)	(३)
"१५-क.	प्लास्टिक के बने पदत्राण, हवाई चप्पल और उनके स्ट्रेप्स.	जबकि मध्यप्रदेश राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा विनिर्माण किया जाए और जिसका विक्रय मूल्य (लेबल पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य) रुपये एक सौ पचास से अधिक न हो.".

(चार) अनुक्रमांक १८ के सामने कॉलम (२) में, शब्द "आलू तथा प्याज" के स्थान पर, शब्द "आलू, प्याज और गन्ना" स्थापित किए जाएं;

(पांच) अनुक्रमांक २२ के सामने कॉलम (२) में, शब्द "यंत्र" के स्थान पर, शब्द "यंत्र, हस्तनिर्मित साबुन, हस्तनिर्मित कागज और हस्तनिर्मित दन्तमंजन" स्थापित किए जाएं;

(छह) अनुक्रमांक ३७ और उससे संबंधित प्रविष्टियां के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"३७. प्रमाणित अथवा सत्यरूप उपचारित सभी बीज";

(सात) अनुक्रमांक ३८ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"३८. पापड़, हस्तनिर्मित अनब्रान्डेड बड़ी";

(आठ) अनुक्रमांक ४५ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"४५. हस्त शिल्प और धूपबत्ती, सामान्यत: जो अगरबत्ती, धूपकाड़ी या धूपबत्ती के नाम से जानी जाती है, हवन सामग्री, जिसमें लोभान तथा गुगल सम्मिलित है";

(नौ) अनुक्रमांक ४८ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"४८. फेब्रिक्स, जिन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, १९८५ (१९८६ का ५) के अधीन अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है या उद्ग्रहणीय है, तौलिया (जिसका विक्रय मूल्य रुपये एक सौ से अधिक न हो), गमछा, चादर.";

(दस) अनुक्रमांक ५३ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"५४.	केन्टीन स्टोर्स	जब कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा सीधे अथवा रेजिमेंटल या यूनिट रन केन्टीन के माध्यम से सेवारत सैनिक कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों को विक्रय किया जाए और उनका विक्रय मूल्य भारत के क्वार्टर मास्टर जनरल द्वारा नियत मूल्य से अधिक न हो.".

बीजों के प्रमाणीकरण का कार्य फाण्डेशन सीड की बुआई से ही शुरू हो जाता है। कंपनी द्वारा प्रदाय किए गए फाउण्डेशन सीड्स से उगने वाली फसलों का निरीक्षण राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा किया जाता है तथा ऐसी फसल से मिलने वाले बीजों की अंकुरण क्षमता व अन्य मानकों का निर्धारण संस्था की प्रयोगशाला में किया जाता है। बीज कंपनियों को किसान द्वारा प्रदाय किए गए बीजों की ग्रेडिंग के अतिरिक्त अन्य कोई प्रोसेसिंग नहीं की जाती है। इस प्रकार कंपनी द्वारा किसानों से ये बीज जिस रूप में क्रय किए जाते हैं उपर्युक्त ग्रेडिंग व वैधानिक रूप से अनिवार्य प्रमाणन करके उसी रूप में किसानों को बेचे भी जाते हैं।

ऊपर वर्णित परिस्थितियों में बीज कंपनियों द्वारा किसानों के माध्यम से उगाए एवं क्रय किए गए बीजों का ही विक्रय किया जाता है, क्रय किए गए अनाज की कोई प्रोसेसिंग नहीं की जाती जिससे कोई नई वस्तु बनती है। इसलिए क्रय किए गए बीजों के मूल्य पर क्रय कर देय नहीं है।

24/2/08

(पी.के.दास)
आयुक्त,
वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि :— 05-130/2007/24(बी)/I; इन्दौर दि. 23-02-2008

1. प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ, एवं

2. महालेखाकार, ग्वालियर, म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी.के.दास)
आयुक्त,
वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश